न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल
ग्वालियर केम्प इन्दौर

निगरानी -3974/2018/धार/भू.रा

इंदरसिंह पिता नंदराम काछी,
निवासी ग्राम दिग्ठान, तह. धार ....निगरानीकर्ता

बनाम

1 जयमाला पति गोविन्द सोमानी,
2 गोविन्द पिता जुगलकिशोर सोमानी,
दोनों निवासी ग्राम दिग्ठान, तह. धार ....विपक्षी

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार के न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण कमांक 21/17–18/अपील में धारा 151 जा.दी. का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त महोदय इन्दौर के आदेश दिनांक 10/12/2002 का पालन करवाया जावे एवं आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के अंतर्गत अपर आयुक्त इन्दौर का आदेश दिनांक 10/12/2002 की प्रतिलिपी प्रस्तुत की ओर अधिनस्थ अनुविभागीय न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता उक्त दोनों आवेदन दिनांक 12/06/2018 को निरस्त किये । उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत हैं ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (इंदरसिंह / जयमाला)

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 2018 / **धार** / भू0रा0

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-18	आवेदक अधिवक्ता श्री हरीश सोलंकी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-6-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 151 जा0दी0 के अन्तर्गत एवं सी0पी0सी0 के आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायलय के आलोक में अस्वीकार किये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	